सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 30/2017 अपील (RCMS/2017/00088)
पंजीयन दिनांक — 22.05.2017
निर्णय दिनांक — 08.10.2018

1. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जरिये सचिव, ग्राम पंचायत ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता चम्पालाल सुथार, निवासी होली चौक, ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती गायत्री देवी पत्नि रमेशचन्द्र शर्मा, निवासी हायर सेकण्डरी स्कूल के पीछे, ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री रोशनलाल जैन — वकील अपीलान्ट
2. श्री लोकेश मेनारिया — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 व 2

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव, प्रकरण संख्या 10/2012 दिनांक 07.06.2012

निर्णय

दिनांक 08.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव, प्रकरण संख्या 10/2012 दिनांक 07.06.2012 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा धुलेव की साबिक आराजी न. 2531/1151 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि आवंटन होकर जमाबंदी संवत 2036 से 2039 में खातेदारी हक से दर्ज थी एवं इसके पश्चात वाद वर्णित भूमि विरासत से श्री भेरूलाल के खाते में वर्तमान में हाल सेटलमेंट में उक्त भूमि खातेदारी हक से हटाकर आ.न. 4347/2797 रकबा 0.27 हैक्टेयर दर्ज कर चारागाह व अन्य सामन्य काम हेतु आरक्षित कर दी, जबकि आवंटन के समय से वह निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। बिना किसी आधार पर नये खाते में कोई खसरा न. दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार सेटलमेंट के रेकार्ड में भारी भूल की जिससे पुराने रेकार्ड अनुसार हाल रेकार्ड में दुरस्त करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट–1 के पक्ष में निर्णय दिनांक 07.06.2012 पारित किया गया, उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 18.07.2018 एवं 01.10.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी वास्तविक एवं पुख्ता जांच के उक्त प्रकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का था, उसमें बावजूद भी उसे राजस्व वाद के नाम से कायम किया जाकर गवाहों के बयान लिये जाकर निर्णय में डिक्री पर्चा बनाया जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त बयान सिर्फ राजस्व वाद में दर्ज किये जाते है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जिस आराजी नम्बर 4347/2797 रकबा 0.27 हैक्टेयर पर अपन कब्जा बताते है वह भूमि वर्तमान में महफूज चरनोट संरक्षक ग्राम विकास प्रन्यास, ऋषभदेव दर्ज थी जिसे पटवारी रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्यवाही माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है। उक्त रिपोर्ट के कलम संख्या 4 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि संलग्न तुलनात्मक पत्र अनुसार साबिक आराजी नम्बर 2533/1151 का नवीन आराजी नम्बर भू–प्रबन्ध द्वारा नहीं दिये गये है और साबिक आराजी नम्बर व वर्तमान आराजी नम्बर में काफी अन्तर होने एवं रकबा मिलान नहीं होने से भी भूमि चारागाह एवं सामान्य कार्य हेतु दर्ज है। बावजूद इसके भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जो एनओसी रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में जारी की गई वह मयाद बाहर

हो चुकी थी और एनओसी अकेले सरपंच द्वारा दिये जाने से उक्त एनओसी प्रभावहीन हो जाती है। ऐसी स्थिति में पारित आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में डिक्री पर्चा अलग से जारी होने का हवाला दिया गया है और नामान्तरकरण भी डिक्री आदेश से दर्ज किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री नहीं बनाई गई है और नामान्तरकरण डिक्री से खोला गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.12.2004 को माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर विचारण करते हुए प्रकरण संख्या 57/2014 दर्ज किया गया और दिनांक 07.02.2017 को निर्णय पारित किया गया कि वस्तुतः यह प्रकरण इन्द्राज दुरूरती का ही है। सिर्फ डिक्री परचा अलग से जारी हो, यह त्रुटिपूर्ण अंकित हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को वाद कार्यवाही नहीं माना जा सकता, तद्नुसार उसकी अपील इस न्यायालय में अर्थात माननीय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में पोषणीय नहीं है तथा क्षेत्राधिकार में नही है। इसलिए अपील खारिज कर दी गई और यह भी निर्देश दिया कि अपीलान्ट चाहे तो सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतन्त्र है इसलिए उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जानकारी व नक्शा ट्रेस के वास्तविक आधार में तथ्यात्मक सबूत को नजरअन्दाज कर बिना किसी छानबीन के सीधे ही रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 07.02.2017 अनुसार सक्षम न्यायालय में प्रार्थी को अपील करने हेतु स्वतन्त्र रखा गया था। प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम में समस्त नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जिस हेतु धारा 5 अन्तर्गत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का भी अलग से प्रस्तुत किया गया है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव द्वारा मौजा धुलेव के साबिक आराजी न. 2537/1151 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का पटवारी हल्का एवं तहसीलदार, ऋषभदेव की रिपोर्ट अनुसार मौके पर भौतिक रूप से आराजी न. 4347/2797 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर पर काबिज काश्त मानकर प्रार्थी श्री भेरूलाल पिता चम्पालाल के खाते किये जाने का आदेश फरमाया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। डिक्री पर्चा नियमानुसार जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में स्व. चम्पालाल सुथार के नाम जमाबंदी संवत 2017 से 2020 खाते दर्ज थी तथा वाद में विरासत से श्री भैरूलाल सुथार के नाम दर्ज हुई है, जिसकी जमाबंदी संवत 2036 से 2039 तक है। अर्थात भूमि श्री भैरूलाल के कब्जे काश्त एवं खाते की होना प्रतीत होता है। प्रकरण में दौराने सेटलमेंट के रेकार्ड में भारी भूल की जिससे पुराने रेकार्ड अनुसार हाल रेकार्ड में दुरस्त करने बाबत श्री भैरूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। सरंपच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव, ऋषभदेव द्वारा श्री भैरूलाल सुथार के नाम इन्द्राज दुरस्ती हेतु अनापत्ति जारी की गई जो अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच, साक्ष्यों के बयान, तहसीलदार की सहमति, कब्जे की जांच एवं पंचायत की अनापत्ति प्राप्त होने उपरान्त श्री भैरूलाल सुथार के पक्ष में निर्णय दिनांक 07.06.2012 पारित कर तहसीलदार, ऋषभदेव को पालना हेतु निर्देशित किया।

उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव द्वारा सभी तथ्यों पर पूर्णतया परीक्षण एवं विचार उपरान्त निर्णय किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। जिससे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निणर्य में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर